

# प्रेस नोट थाना पुवायां



## जपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 29.07.2025

“थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या के प्रयास करने वाले वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशनुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में पुवायाँ पुलिस जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या के प्रयास करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.07.2025 को थाना पुवायां पर वादिनी की लिखित सूचना के आधार पर बनाम अज्ञात के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 514/2025 धारा 137 (2) बीएनएस पंजीकृत कराया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त की अपहता/पीड़िता को बरामद कर साक्ष्य संकलन एकत्र किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियोग में अभियुक्तगण 1.आशीष कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम जारमानो थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर 2. अरविन्द उर्फ डब्लू पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम जारमानो थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर के नाम प्रकाश में आये तथा अभियुक्त आशीष कुमार उपरोक्त के विरुद्ध धारा 137(2)/87/65(1)/109(1) बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट तथा अभियुक्त अरविन्द उर्फ डब्लू पुत्र बाबूराम उपरोक्त के विरुद्ध 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र बाबूराम उपरोक्त को दिनांक 20.07.2025 को अन्तर्गत धारा 137(2)/87/65(1)/109(1) बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 29.07.2025 को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त अरविन्द उर्फ डब्लू पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम जारमानो थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर जो इस समय शाहजहाँपुर रोड पर मोहम्मदी मोड़ पर खड़ा है कहीं जाने की फिराक में है। जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मुखबिर द्वारा बताये स्थान शाहजहाँपुर रोड पर मोहम्मदी मोड़ पर पकड़ लिया पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो इस व्यक्ति ने अपना नाम अरविन्द उर्फ डब्लू पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम जारमानो थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 50 वर्ष बताया। उसको इसके जुर्म मु0अ0सं0 514/2025

धारा 109(1) बीएनएस से अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर समय 08.50 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

अरविन्द उर्फ डब्लू पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम जारमानो थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 50 वर्ष।

### पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

मु0अ0सं0 514/25 धारा 109(1) बीएनएस थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर

### गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समय:-

स्थान- शाहजहाँपुर रोड पर मोहम्मदी मोड़ पर थाना क्षेत्र पुवायां, दिनांक- 29.07.25 समय 08.50 बजे।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री विशाल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 1181 गगन पवार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर